

पत्र सं०-विधि-4(1) परिपत्र पत्रावली भाग-2 (2009-10)/

11929/0910094
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र०
(विधि अनुभाग)
लखनऊ/दिनांक/ फरवरी, 2010
18

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उ०प्र०।

मूल्य सवर्धित कर नियमावली के नियम-45 में कर विवरणी के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था की गयी है। उक्त नियम के उपनियम-1(ग) को अधिसूचना सं०- क०नि०-2-241/ग्यारह - 9 (295)/07उ०प्र०अध्यादेश-2007यू०पी०वैटनियमावली०८, दिनांक 04.2.2010 द्वारा संशोधित करते हुए निम्न उपनियम प्रतिस्थापित किया गया है:-

“(ग) ऐसा व्यवहारी जो कमिशनर द्वारा निर्धारित संवेदनशील वस्तुओं का व्यापार करता हो अथवा धारा 42 में प्राविधानित रिफंड का हकदार हो, जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त, जैसा नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित है, एक करोड़ रुपये से अधिक होना संभावित है, या जिसका ऐसा सकल आवर्त संगत कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष या उसके किसी भाग में एक करोड़ रुपये से अधिक था, कर निर्धारण वर्ष का प्रत्येक कैलेन्डर मास कर-अवधि होगा।”

नियम-45 के उपनियम-1(ग) के अंतर्गत दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वस्तुओं को संवेदनशील निर्धारित किया जाता है:-

1- रिफाइनड आयल, वनस्पति एवं अन्य खाद्य तेल 2- मैथा आयल तथा मैथाल 3-किराना, कत्था एवं सुपाड़ी 4- कोयला 5-केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 14 में परिभाषित लोहा एवं इस्पात 6- सादा पान मसाला एवं गुटका(तम्बाकू युक्त पान मसाला) 7- सीमेन्ट 8- खाद्यान्न तिलहन एवं दलहन 9- दवाईयाँ 10- सभी प्रकार के साबुन एवं डिटरजेंट 11-सभी प्रकार के बिजली के सामान 12- सभी प्रकार की इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ 13- सभी प्रकार के कास्मेटिक्स 14- सभी प्रकार की रासायनिक खाद 15- बिस्कुट एवं कन्फैक्सनरी 16-मशीनरी एवं मशीनरी पार्ट्स 17- सभी प्रकार के कैमिकल 18-सोडावाटर, कोल्ड ड्रिंक्स एवं साफ्ट ड्रिंक्स 19- वुड एवं टिम्बर 20- पेन्ट एवं वार्निश 21- सभी प्रकार के टायर एवं ट्यूब ।

अतः उपरोक्त वस्तुओं के व्यापार करने वाले व्यवहारी को जिनका उपरोक्त नियम के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त रु० एक करोड़ से अधिक है, उनको प्रत्येक कैलेन्डर मास का नियमानुसार कर विवरणी देय कर के साथ दाखिल करना होगा।

कृपया तदनुसार अधीनस्थ अधिकारियों/व्यापारिक संघों एवं अधिवक्ता संघों को अवगत कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(चन्द्रभानु)

कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र०।

प०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश व्यापार कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य व्यापार कर अधिकरण व्यापार कर, उ०प्र०।

- (5) विशेष कमिशनर व्यापार कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, व्यापार कर उत्तर प्रदेश ।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0/वि0अनु0शा0/अपील) व्यापार कर, उत्तर प्रदेश ।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, व्यापार कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश ।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ इ ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद ।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (15) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद ।
- (16) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0) लखनऊ/इलाहाबाद ।
- (17) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियाँ में ।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, व्यापार कर, मुख्यालय ।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ ।
- (25) मर्चेंट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद ।
- (30) कन्फेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (33) शिव कुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर ।
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (37) डा0 छेदी लाल साधी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (38) श्री बी0एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1 कुंजगली, चौक, वाराणसी ।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर ।
- (41) श्री पी0एस0 जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (42) श्री द्वित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (43) आर0डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।

- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (46) इन्डियन इण्डोएसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0(रजि0)52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पा0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ0 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, यू0पी0 ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 रज्जनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन्स, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(वाई0एस0 सिंह)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।